झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स (संशोधन) विधेयक, 2014

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स (संशोधन) विधेयक, 2014
(सभा द्वारा यथापारित)

विषय–सूची

प्रस्तावना।

धाराएँ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ।

2. धारा–2 में संशोधन।

3. धारा–3 (v) में संशोधन।

3. धारा–5 (ii) में संशोधन।

झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स (संशोधन) विधेयक, 2014

(सभा द्वारा यथापारित)

झारखण्ड राज्य में पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996 के प्रावधानों को झारखण्ड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्र में प्रभावी करने के लिए बिहार (झारखण्ड) प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीडस अधिनियम, 1953 (बिहार अधिनियम-22, 1953) में संशोधन हेतु विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप से अधिनियमित हो :-

1. **धारा-1** (i) संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः- यह अधिनियम झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स अधिनियम, 1953 संशोधित 2014 कहलाएगा।
   (ii) यह संपूर्ण झारखण्ड राज्य में प्रभावी होगा।
   (iii) यह तुरन्त प्रभावी होगा।
2. **धारा-2** परिभाषा में 2 (i) के बाद 2 (j) निम्नवत जोड़ा जाए :-
   धारा-2 (j) ग्राम सभा- ग्राम सभा से अभिप्रेत है। झारखण्ड पंचायत राज अधिनियम, 2001 की धारा-3 मे वर्णित ग्राम सभा।
3. **धारा-3 (v) के बाद परन्तुक** के रूप में निम्न प्रावधान को जोड़ा जायः-
   "परन्तुकः- अनुसूचित क्षेत्रों के लिए धारा-3 के अंतर्गत कोई भी अधिसूचना जारी करने से पहले राज्य सरकार संबंधित ग्राम सभा अथवा पंचायत से सहमति प्राप्त कर लेंगी।"
4. **धारा-5 (ii) के बाद परन्तुक** के रूप में निम्न प्रावधान को जोड़ा जाए :-
   "परन्तुकः- अनुसूचित क्षेत्रों में किसी भी कृषि भूमि पर प्रवेश करने के पूर्व कृषि पदाधिकारी संबंधित ग्राम सभा अथवा पंचायत से सहमति प्राप्त कर लेंगे।"

....

यह विधेयक झारखण्ड प्रीभेन्सन एण्ड कंट्रोल ऑफ एग्रीकल्चरल पेस्टस डिसीसेस एण्ड नॉक्सिएस वीड्स (संशोधन) विधेयक, 2014 दिनांक 06 अगस्त, 2014 को झारखण्ड विधान सभा में उदभूत हुआ और दिनांक 06 अगस्त, 2014 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

(शशांक शेखर भोक्ता)

अध्यक्ष ।